बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

(अल्पकालीन नीलामी सूचना)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पटना स्थित मुख्य सचिवालय परिसर में रखे गये वर्तमान में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधीन कुल–01 (एक) वाहन की जहां है, जैसे है, के आधार पर खुली डाक द्वारा नीलामी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नीलामी समिति की देख–रेख में दिनांक ... 05.08.2026 को 3.30 बजे अपराह्न में मुख्य सचिवालय परिसर में **खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सभा कक्ष** में किया जायेगा। प्रस्तावित नीलामी हेतु वाहन का निरीक्षण कार्यालय अवधि में क्रेता द्वारा आवश्यकतानुसार श्री वीरेन्द्र कुमार प्रसाद, संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्पर्क कर किया जा सकता है।

वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	वाहन संख्या	वाहन के प्रकार	क्रय वर्ष	चेचिस नम्बर	ईंजन नम्बर	वाहन जहां रखा है
1	2	3	4	5	6	7
1.	BR-01PH-6679	टाटा सफारी (डीजल)	2016	MAT617011GNB01229	VARICOR07BTYJ02147	मुख्य सचिवालय परिसर

नीलामी की शर्तें

(1) उक्त नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को 40,000/– (चालीस हजार रूपये) का प्रतिभूति की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में "Secretary, Food & Consumer Protection Department, Bihar" के नाम संलग्न करना अनिवार्य होगा और उनके द्वारा यह बैंक ड्राफ्ट विहित प्रपत्र Annexure-A के साथ संलग्न कर दिनांक– 05.08.2026 को 12.30 बजे अपराह्न तक खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के श्री वीरेन्द्र कुमार प्रसाद, संयुक्त सचिव के पास जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त समय के पश्चात् नीलामी हेतु बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(2) नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अपना परिचय पत्र के रूप में आधार कार्ड/पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस का हस्ताक्षरित प्रति होगा।

(3) नीलामी में भाग लेते समय उनके परिचय पत्र के आधार पर जमा राशि को देखने के उपरांत भाग लेने दिया जायेगा।

(4) उच्चतम डाक वक्ता को छोड़कर शेष डाकवक्ता के जमानत की राशि नीलामी प्रक्रिया के 02 कार्य दिवसों के बाद वापस कर दिया जाएगा।

(5) सबसे अधिक डाक बोलने वाले व्यक्ति द्वारा नीलामी का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर सम्पूर्ण राशि का बैंक ड्राफ्ट जमा कर वाहन ले जाया जा सकता है। एक सप्ताह के अन्दर राशि नहीं जमा करने पर उनके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति की राशि स्वतः जब्त हो जायेगी।

(6) सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को बिना कारण बताये डाक को निलंबित करने, स्थगित करने, तिथि बढ़ाने अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(7) विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय अवधि में श्री वीरेन्द्र कुमार प्रसाद, संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना (मो0 नं0–9473382743) से सम्पर्क किया जा सकता है।

(वीरेन्द्र कुमार प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना।

Annexure-A

नीलामी में भाग लेने हेतु बोली लगाने वाले का विवरण :–

बोली लगाने वाले का नामः–

बोली लगाने वाले का पताः–

मोबाईल संख्याः–

क्र0सं0	गाड़ी संख्या	जमानत की राशि	अभ्युक्ति
1			
	कुल राशि–		

बैंक ड्रॉफ्ट नंबर एवं तिथि :–

बैंक ड्रॉफ्ट की राशि :–

बैंक ड्रॉफ्ट की राशि शब्दों में :–

(नीलामी में भाग लेने वाले का हस्ताक्षर)